न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 51/2021
GCMS NO. : 2021/103

-: वादी :-

1. हरदीनराम पुत्र केसाराम जाति- कुम्हार, निवासी- डिगरना, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. चैनाराम पुत्र केसाराम
2. तेजाराम पुत्र केसाराम
3. पांचुड़ी पत्नी केसाराम
   सभी जातियान- कुम्हार, निवासीगण- डिगरना, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण, तहसील जैतारण।

राजस्व वादबाबत् **घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,** 1955

तारीख रजू:- 14.06.2021

उपस्थितः-

1. श्री अशोक कुमार पटेल, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः-08/08/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन एक ही परिवार के सदस्य है। ग्राम डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, तहसील जैतारण की सरहद में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से तीन के पिता/पति की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि स्थित है, जो कि इस प्रकार है खसरा नम्बर 254 रकबा 2.7761 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 275 रकबा 4.0954 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 329 रकबा 2.8652 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम उक्त खसरान की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता/पति का 1/3वे हिस्से का 1/5वां यानि सम्पूर्ण भूमि में वादी 1/15 वां हिस्सा है तथा खसरा नम्बर 365 रकबा 0.9308 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 369 रकबा 3.1889 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.7042 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, उक्त खसरान की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता/पति का 1/5 वां हिस्सा यानि सम्पूर्ण जमीन में 1/20 वां हिस्सा है एवं ग्राम डिगरना पटवार हल्का डिगरना की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1259/495 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1132/281 रकबा 0.8498 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल उक्त खसरान की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के पिता/पति की पैतृक कृषि भूमि है, जो श्री केसा की स्वयं की खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 1/4वां हिस्सा बंट में आता है। इस प्रकार उक्त खसरा की भूमि पक्षकारो की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है तथा वाद में आगे वाद में उक्त खसरा की भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वाद के पद संख्या दो, तीन व चार में वर्णित जमीन पूर्व मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता/पति श्री केसाराम

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त भूमि है। श्री केसाराम को उपरोक्त खसरान की भूमि विरासत मे प्राप्त है। मे खसरा नम्बर 254, 275, 329 की भूमि में वादी का 1/15वां हिस्सा, खसरा म्बर 365, 369, 384 की भूमि मे वादी का 1/5 वां हिस्सा मे से 1/4 यानि म्पूर्ण भूमि मे 1/20वां हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 1132/281 व 259/495 में वादी का 1/4वां हिस्सा आता है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 03 मौके पर काबिज है एवं काफी समय से काश्त करते आ रहे हैं। वादी व तिवादी संख्या 01 से 03 के पिता/पति श्री केसाराम का देहान्त हो चुका है। केसाराम हान्त के बाद उक्त खसरों की भूमि का जरिये फौतेदगी म्यूटेशन भरवाने हेतु वादी ने ार्यवाही की तो पता चला कि उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि पैतृक कृषि भूमि होते हुए वं वादी का वादग्रस्त जमीन पैतृक कृषि भूमि होने एवं उसका वादग्रस्त जमीन मे तिवादी संख्या 01 एक से 03 ने वादी के पिता श्री केसाराम के जीवन काल मे मलीभगत कर वादी को उसके एक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित रने की नियत से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हक मे बक्सीस करवा कर क्सीस(उपहार) का म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड अमल दरामद करवा दिया है, जबकि वादग्रस्त मि में वादी अपने हिस्से अनुसार आज दिन काबिज है तथा काश्त कर रहा है। मगर ादी के हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 ने मिल कर उपहार रवाने एवं वादी के द्वारा जमाबन्दी की नकले दिनांक 08.06.2021 को प्राप्त करने पर ादी को पता चला है तथा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से लाठियों के बल पर दखल करने की धमकीया अभी हाल ही में दिनांक 08.06.2021 को ग्राम डिगरना मे ी है। पद संख्या 02, 03, 04 मे वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 254, 275, 329 की भूमि मे वादी का 1/15वां हिस्सा, खसरा नम्बर 365, 389, 384 की भूमि में वादी का 1/5 वां हिस्सा मे से 1/4 यानि सम्पूर्ण भूमि मे 1/20 वां हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 1132/281 व 1259/495 मे वादी का 1/4 हिस्सा पर वादी का कब्जा व काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। पारिवारिक बात को लेकर प्रतिवादी संख्या 01 से 02 वादी से व्यर्थ नाराज रहते है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। इसी अनुसरण मे प्रतिवादी संख्या 01 से 02 ने मिल कर वादी के पिता श्री केसाराम को बहला फुसला कर वादी का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष मे बक्सीस करवा दी तथा पीछे शेष बची जमीन मे प्रतिवादीगण हक हिस्से की मांग करने लग गये है। इस प्रकार वादी का वादग्रस्त पैतृक जमीन मे रेकर्ड के हिस्से से भी कम जमीन बचती है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 के पास ज्यादा जमीन हो गई है। इस कारण वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के विरूद्ध उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल करने से रोकने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 एक से 03 तीन विवादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने तथा वादी को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 254, 275, 329 की भूमि में वादी का 1/15 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 365, 369, 384 की भूमि मे वादी का 1/5 वां हिस्सा मे से 1/4वां यानि सम्पूर्ण भूमि मे 1/20वां हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 1132/281 व 1259/495 में वादी का 1/4वां हिस्सा आता है के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा तथा वादी अपने हक हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 लाठियो के जरिये अपने मन माफिक जमीन पर काबिज हो जायेगे। देहान्त होने बाद पीछे शेष बची जमीन मे से हक हिस्सा हड़पने की धमकीया दे रहे है। वाद रण वादगस्त भूमि वादी की खातेदारी की एवं पैतृक भूमि होने से प्रतिवादी संख्या एक दो द्वारा वादी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 254, 275, 329 की भूमि वादी का 15 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 365, 369, 384 की भूमि में वादी का 1/5वां हिस्सा से 1/4वां यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/20 वां हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 132/281 व 1259/495 में वादी का 1/4वां हिस्सा की भूमि को हमेशा हमेशा के ये हड़पने एवं वादी को अपने हक से बेदखल करनें की धमकिया देने पर पैदा हुआ है आज भी हो रहा है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली में थत होने से माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। वाद खातेदारी की घोषणा एवं थाई निषेधाज्ञा का होने से राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतू तिवादी संख्या 04 तहसीलदार लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार होने से राज्य सरकार रिये तहसीलदार जैतारण को प्रतिवादी संख्या 04 पक्षकार बनाया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1से 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो सामिल मिसल किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनामा नोट प्रेस करने से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथ पेश किए शामिल मिसल किए गए। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम डिगरना, पटवार हल्का डिगरना के खसरा नम्बर 254, 275, 329, 365, 369, 384, 1259 व 132/281 की आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन के पिता/पति श्री केसा के स्वयं की खातेदारी, पैतृक पुश्तैनी की भूमि है। जिसमें वादी का 1/4वां हिस्सा बंट में आता है। आराजी के खसरा नम्बर 254, 275, 329 की भूमि में वादी का 1/15 वां हिस्सा, खसरा नम्बर 365, 369, 384 की भूमि मे वादी का 1/5 वां हिस्सा मे से 1/4वां यानि सम्पूर्ण भूमि मे 1/20 वां हिस्सा आता है तथा खसरा नम्बर 1132/281 व 1259/495 में वादी का 1/4वां हिस्सा आता है। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी में उसके हक हिस्से तक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

2. प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते जवाब तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1से 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो सामिल मिसल है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनामा नोट प्रेस करने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं होने के कारण वाद तनकीयात कायम नहीं की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

वादी द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य के समर्थन में पी. डब्ल्यू. 1 हरदीनराम तथा वादी के ...ान पी.डब्ल्यू. 2 शंकरलाल के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के ... में खाता संख्या 63 की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 की प्रति प्रदर्श-1, ...ता संख्या 74 की जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 की प्रति प्रदर्श 2, खाता संख्या ... की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 की प्रति प्रदर्श 3, खाता संख्या 80 की ...माबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की प्रति प्रदर्श 4, खाता संख्या 162 की जमाबन्दी ...म्वत् 2073 से 2076 की प्रति प्रदर्श 5, खाता संख्या 163 की जमाबन्दी सम्वत् ...073 से 2076 की प्रति प्रदर्श 6, खाता संख्या 169 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से ...080 की प्रति प्रदर्श 7, खाता संख्या 168 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 ... प्रति प्रदर्श 8, खाता संख्या 62 की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 की प्रति ...र्श 9, खाता संख्या 440 की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 की प्रति प्रदर्श 10, ...ाता संख्या 73 की जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 की प्रति प्रदर्श 11, खाता ...ख्या 489 की जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 की प्रति प्रदर्श 12, खाता संख्या ...90 की जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 की प्रति प्रदर्श 13, खाता संख्या 77 की ...माबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 की प्रति प्रदर्श 14, खाता संख्या 513 की जमाबन्दी ...म्वत् 2065 से 2068 की प्रति प्रदर्श 15, खाता संख्या 45 की जमाबन्दी सम्वत् ...065 से 2068 की प्रति प्रदर्श 16, खाता संख्या 79 की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से ...072 की प्रति प्रदर्श 17, खाता संख्या 561 की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 ...की प्रति प्रदर्श 18 खाता संख्या 51 की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की प्रति ...दर्श 19, खाता संख्या 155 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति प्रदर्श 20, खाता संख्या 604 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति प्रदर्श 21, खाता संख्या 51 की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति प्रदर्श 22, खाता संख्या 175 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 की प्रति प्रदर्श 23, खाता संख्या 174 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 की प्रति प्रदर्श 24, खाता संख्या 665 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 की प्रति प्रदर्श 25, खाता संख्या 58 की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 की प्रति प्रदर्श 26, केसाराम पुत्र श्री महाराम जाति कुम्हार द्वारा हरदीनराम पुत्र केसाराम के पक्ष में लिखा गया सहमति पत्र दिनांक 22.12.2017 प्रदर्श 27, खाता संख्या 141 की जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 की प्रति प्रदर्श 28. खाता संख्या 162 व 163 की जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 की प्रति प्रदर्श 29, खाता संख्या 142 की जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 की प्रति प्रदर्श 30. खाता संख्या 163 व 164 की जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 की प्रति प्रदर्श 31 पेश किये। जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5. वादी द्वारा की गयी मौखिक बहस, साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत पुरानी जमाबन्दीया सम्वत् 2016 से 2019 व जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के दादा स्वः महाराम [illegible] संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी तथा वादी के दादा स्व. महाराम फौत होने [illegible] वादग्रस्त आराजीयात उनके विधिक वारिसान गोकल, केसा, शिवराम, [illegible] महाराम के नाम दर्ज हुई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी [illegible] पिता केसाराम को विरासत से प्राप्त हुई है अर्थात् वादी के पिता की पुश्तैनी पैतृक सम्पति है। अतः उपयुर्क्त आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत वादी का भी केसाराम के बाकी ान के बराबर हक व हिस्सा जन्म से निहित है। प्रदर्श-4 ग्राम जैतारण पटवार ा जैतारण की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 के अनुसार वादी के पिता केसाराम । वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 254 रकबा 17-03 बीघा व खसरा नम्बर 329 बा 17-14 बीघा में दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तेजाराम के में तथा खसरा नम्बर 254 रकबा 17-03 में खसरा नम्बर 254 रकबा 17-03 दर्ज अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 01 चैनाराम के पक्ष उपहार के रूप बख्शीश कर दी थी जिनका नामान्तरण क्रमशः 1584 दिनांक 10.07.2015 व मान्तरकरण संख्या 1691 दिनांक 01.07.2016 भरा गया जिसके अनुसार उक्त प्रान् में स्थित खातेदार केसाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम नस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, लेकिन वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी द्वारा तुत दस्तावेजात् से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आराजी वादी के पिता केसाराम की क पुश्तैनी सम्पति है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी का भी स्व. केसाराम के अन्य रेसान के साथ जन्म से हक हिस्सा व अधिकार निहित है।

प्रदर्श-17 जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 खसरा नम्बर 365, 369 व 384 में दी और प्रतिवादीगण के पिता/पति केसाराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श- 17 ग्राम तारण की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 के अनुसार वादी के पिता केसाराम द्वारा पने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि यानि 1/5वां हिस्सा अपने पुत्र तेजाराम के पक्ष में जरिये हार बख्शीश कर दी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1584 दिनांक 10.07. 015 के द्वारा केसाराम पुत्र महराम के स्थान पर तेजाराम पुत्र केसाराम राजस्व रेकर्ड दर्ज किया गया। लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि दग्रस्त आराजी वादी के पिता की पैतृक पुश्तैनी भूमि है, जिस में हिन्दू उत्तराधिकार धिनियम के तहत वादी का भी हक हिस्सा व अधिकार जन्म से निहित है।

. प्रदर्श-10 जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 खसरा नम्बर 1259/495 रकबा 3-05 ीघा व खसरा नम्बर 1132/281 रकबा 05-05 बीघा में वादी के पिता बतौर गैर ातेदार दर्ज है। प्रदर्श-22 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खसरा नम्बर 1259/495 कबा 03-05 में वादी के पिता केसाराम बतौर सह खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 259/495 रकबा 3-05 बीघा में अपने हिस्से की भूमि में से 1/3वां हिस्सा प्रतिवादी ंख्या 1 के पक्ष में तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में उपहार के रूप में ख्शीश कर दिया था, जबकि वादी के पिता केसाराम द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1259/495 रकबा 3-05 बीघा में से 1/3 हिस्सा वादी व 1/3-1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में रखने हेतु 500/- रूपये के नॉन ज्युडिशयल स्टाम्प पेपर पर एक सहमति पत्र भी निष्पादित किया था जो सहमति पत्र दिनांक 22.12. 2017 को निष्पादित किया था जो प्रदर्श 27 से प्रमाणित है। प्रदर्श-21 जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खसरा नम्बर 1132/281 रकबा 05-05 बीघा में वादी के पिता केसाराम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1259/495 रकबा 3-05 बीघा व खसरा नम्बर 1132/281 रकबा 05-05 बीघा वादी के पिता केसाराम की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

उपरोक्त समस्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा साक्ष्य शपथपत्र के आधार स्पष्ट है कि वादी स्व. केसाराम का वारिस है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4, 275, 329, 365, 369 तथा 384 वादी के पिता केसाराम की पैतृक पुश्तैनी । भूमि है, जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादी का भी जन्म हक व अधिकार है तथा खसरा नम्बर 1259/495 व 1132/281 के सम्बन्ध में ी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त खसरा नम्बरान् की आराजी ी के पिता केसाराम की पैतृक पुश्तैनी है या नहीं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को शिक रूप से केवल खसरा नम्बर 254, 275, 329, 365, 369 तथा 384 में ही ी के हक हिस्से तक ही स्वीकार किया जाकर, वादी को उसके हक हिस्से तक तेदार काश्तकार घोषित करते हुये इसी अनुरूप वादपत्र को डिक्री किया जाना तथा तेवादीगण को वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी ी करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी उचित तथा न्यायसंगत गा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् षणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 188, राजस्थान काश्तकारी धिनियम–1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। ादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, भू अभिलेख निरीक्षक म्बोल, तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 254 रकबा 2.7761 हैक्टेयर, ासरा नम्बर 275 रकबा 4.0954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 329 रकबा 2.8652 क्टेयर में वादी हरदीनराम को 1/60वां हिस्से का तथा खसरा नम्बर 365 रकबा 0. ›308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 3.1889 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 384 कबा 0.7042 हैक्टेयर में से 1/20वाँ हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित केया जाता है तथा घोषित खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की घोषित खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे व न ही अन्य किसी से कराये तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में जो भी अन्तरण स्व. केसाराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये है, वो अन्तरण स्व. केसाराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से तक ही प्रवर्तनीय रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे तहसीलदार जैतारण को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

िर्णय आज दिनांक 08/08/2023 को [illegible]

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
जलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. हरदीनराम पुत्र केसाराम जाति– कुम्हार, निवासी– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।

1. चैनाराम पुत्र केसाराम
2. तेजाराम पुत्र केसाराम
3. पांचुड़ी पत्नी केसाराम
सभी जातियान– कुम्हारा, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण, तहसील जैतारण।

जस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
न्तर्गत धारा 88, 188,
जस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 51/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी अरूण कुमार प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी विरूद्ध तिवादीगण बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 188, राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया ाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम डिगरना, पटवार हल्का डिगरना, भू अभिलेख ारीक्षक निम्बोल, तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 254 रकबा 2.7761 क्टेयर, खसरा नम्बर 275 रकबा 4.0954 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 329 रकबा 2. 652 हैक्टेयर में वादी हरदीनराम को 1/60वां हिस्से का तथा खसरा नम्बर 365 कबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 3.1889 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 84 रकबा 0.7042 हैक्टेयर में से 1/20वाँ हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार ोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम से ामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है तथा तिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की घोषित ब्रातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे व न ही न्य किसी से कराये तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में जो भी अन्तरण स्व. केसाराम व ातिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये है, वो अन्तरण स्व. केसाराम व प्रतिवादी संख्या व 2 के हिस्से तक ही प्रवर्तनीय रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे हसीलदार जैतारण को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु हरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... –......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी ......–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 08/08/2023 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा	05	00	स्टाम्प वकालतनामा	06	00
प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
प वजह सबूत	-		मेहनताना वकील		
ताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
गवाहान	03	00	फीस कमीशनर		
कमीशनर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
त ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
जान:-	09	00	मिजान:-	06	00

:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:33:08 IST
Reason: SelfAttested